पंचायत राज संस्थाओं की बाल विकास क्षेत्र में भूमिका सत्र की रूपरेखा

क्रम सं	उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
1	स्वागत/परिचय	प्रतिभागियों का स्वागत. परिचय सत्र, सत्र का विवरण		05 मिनट्स
2	बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे	बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे एवं सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानकारी विकसित करना	समूह कार्य	20 मिनट्स
3	समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) की जानकारी	केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चालित कार्यक्रमों की जानकरी	पावर पॉइंट, व्याख्यान/फिल्म	20 मिनट्स
4	पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचक	सूचकों के माध्यम से स्वास्थ्य स्थिति के बारे में समझ विकसित करना प्रासंगिक/SDG सूचक	पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचको के बारे में चर्चा करना	15 मिनट्स
5	बाल संरक्षण क्षेत्र में पंचायत	बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार हेतु ग्राम पंचायत की भूमिका	पावर पॉइंट, व्याख्यान/फिल्म/केस स्टडी (समूह कार्य)	50 मिनट्स
6	बाल संरक्षण के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु याद रखें-	एक्शन points : ग्राम सभा व् ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों को जिवंत बनाना, नियमित रूप से स्वास्थय केंद्र एवं आंगनवाडी का निरिक्षण करना एवं रिकॉर्ड रख रखाव,	10 मिनट्स

बाल संरक्षण

उप विषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समय
स्वागत/परिचय	प्रतिभागियों का स्वागत. परिचय सत्र, सत्र का विवरण		05 मिनट्स

परिचय
एक बच्चा कौन है और बाल संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, 'एक बच्चा' का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का मनुष्य है।
पंचायत सदस्यों के रूप में आपको यह सुनिश्चित करने में सक्षम होना चाहिए कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के सभी बच्चे सभी प्रकार से सुरक्षित हैं
• शोषण
• दुर्व्यवहार
• अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार
• उपेक्षा

बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे	बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे एवं सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानकारी विकसित करना	समूह कार्य	20 मिनट्स

बाल संरक्षण के घटकों पर समूह कार्य
सामग्री: फ्लिपकार्ट पेपर (बड़े हलकों में कट-आउट), या कार्डबोर्ड / पोस्टर बोर्ड, मार्कर
विधि: प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को बाल संरक्षण का एक घटक दिया जाएगा: -
1. जोखिम कम करना / दुरुपयोग
2. उपद्रव अधिकार
3. बाल कल्याण
4. सुरक्षात्मक वातावरण।
एक समूह के रूप में उन्हें तय करना चाहिए कि प्रतीक का उपयोग करके घटक को सबसे अच्छा कैसे समझा जाए। प्रत्येक समूह अपने प्रतीक को बड़े समूह में प्रस्तुत करें। कमरे में चार बड़े प्रतीकों को लटकाएं और प्रशिक्षण के दौरान इनका संदर्भ लें कि बच्चे की सुरक्षा क्या है।
नोट: प्रतिभागियों को एक वास्तविक प्रतीक बनाने की कोशिश करें न कि किसी दृश्य या घटना की तस्वीर। प्रतीकों को अधिक आसानी से और जल्दी से सचित्र रूप से प्रशिक्षण में एकीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, प्रतिभागियों को एक दृश्य खींचने से हतोत्साहित करें जहां एक बच्चा मारा जा रहा है और पृष्ठभूमि में एक सीपीसी सदस्य माता-पिता को सलाह दे रहा है ... आप एक झोपड़ी, एक क्षेत्र आदि भी देख सकते हैं। यह एक बड़ा दृश्य है और प्रतीक नहीं। एक प्रतीक, उदाहरण के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है जो दुर्व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है - एक उदास चेहरा - फिर आगे एक एक्स के साथ सचित्र यह इंगित करने के लिए कि यह कुछ नहीं है।

मुख बिंदु:

- यूनिसेफ की सीपी की परिभाषा- "बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार के लिए उपयुक्त उपाय करना और रोकना।"
- बाल संरक्षण में उपाय और संरचनाएं शामिल हैं
    - शारीरिक, यौन, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को रोकने और जवाब देना;
    - व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यौन शोषण;
    - बच्चा तस्करी; बाल श्रम;
    - घर, स्कूल और समुदाय में ओ दुर्व्यवहार; तथा
    - हानिकारक और अपमानजनक पारंपरिक प्रथाओं, जैसे कि महिला जननांग विकृति (FGM; जिसे काटने के रूप में भी जाना जाता है) और
    - बाल विवाह।

बाल संरक्षण और एस.डी.जी.

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार सभी प्रकार की हिंसा से बच्चों का संरक्षण एक मौलिक अधिकार है। 2030 एजेंडा में सतत विकास के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य (एसडीजी 16.2) को शामिल करना, बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करता है। भय, उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण से मुक्त रहने के लिए हर बच्चे के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में नए सिरे से प्रोत्साहन देता है । कई अन्य एसडीजी लक्ष्य बच्चों के प्रति हिंसा और नुकसान के विशिष्ट रूपों को संबोधित करते हैं, जैसे बाल विवाह और महिला जननांग विकृति (लक्ष्य 5.3) और बाल सैनिकों के भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम का उन्मूलन (लक्ष्य 8.7)।

	5.2.1. 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और लड़कियों का अनुपात, जो वर्तमान या पूर्व अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हिंसा से जुड़ा हुआ है, पिछले १२ महीनों में, हिंसा के रूप में और उम्र के अनुसार 5.2.2. 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और लड़कियों का अनुपात, जो अंतरंग साथी के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा यौन हिंसा के अधीन हैं, पिछले 12 महीनों में, घटना की उम्र और स्थान के आधार पर 5.3.1. 20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का अनुपात, जो विवाहित थीं या संघ में थीं। 15 वर्ष की आयु या 18 of वर्ष की आयु तक। 5.3.2 15-49 वर्ष की आयु की लड़कियों और महिलाओं का अनुपात जो महिला जननांग विकृति / कटाव से गुज़री हैं
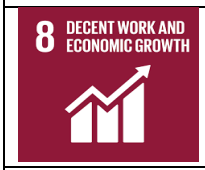	8.7.1 लिंग और आयु के आधार पर 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या और बाल श्रम में लिप्त बच्चों की संख्या
SDG-16 	16.2 बच्चों के खिलाफ अत्याचार, शोषण, तस्करी और हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना

क्रम सं	उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
1	स्वागत/परिचय	प्रतिभागियों का स्वागत. परिचय सत्र, सत्र का विवरण		05 मिनट्स
2	बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे	बाल संरक्षण के प्रासंगिक मुद्दे एवं सतत विकास लक्ष्य के बारे में जानकारी विकसित करना	समूह कार्य	20 मिनट्स
3	समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) की जानकारी	केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चालित कार्यक्रमों की जानकरी	पावर पॉइंट, व्याख्यान/फिल्म	20 मिनट्स

केंद्र सरकार किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के प्रावधानों को लागू करने के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) को क्रियान्वित कर रही है। राज्य सरकारों को, सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की पहचान और पंजीकरण करना है, जिसमें जेजे एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम्स और ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम्स शामिल हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक निरीक्षण और अन्य समितियों का गठन करना है ताकि सभी सीसीआई में रह रहे बच्चे , अच्छी देखभाल, और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार और उपेक्षा के अधीन नहीं हैं। राज्य सरकारों को नियमित निरीक्षण और निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि संस्थान जेजे एक्ट और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार चलाए जा रहे हैं।

उद्देश्य

एकीकृत बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य है: देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुरक्षा जाल बनाना और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों की सुरक्षा

घटक

योजना के घटकों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

- कानून के साथ संघर्ष में किशोर, और
- देखभाल और सुरक्षा की जरूरत में बच्चों की सुरक्षा

प्रत्येक श्रेणी के लिए वितरण संरचनाओं और वैधानिक सहायता सेवाओं को सौंपा गया है।

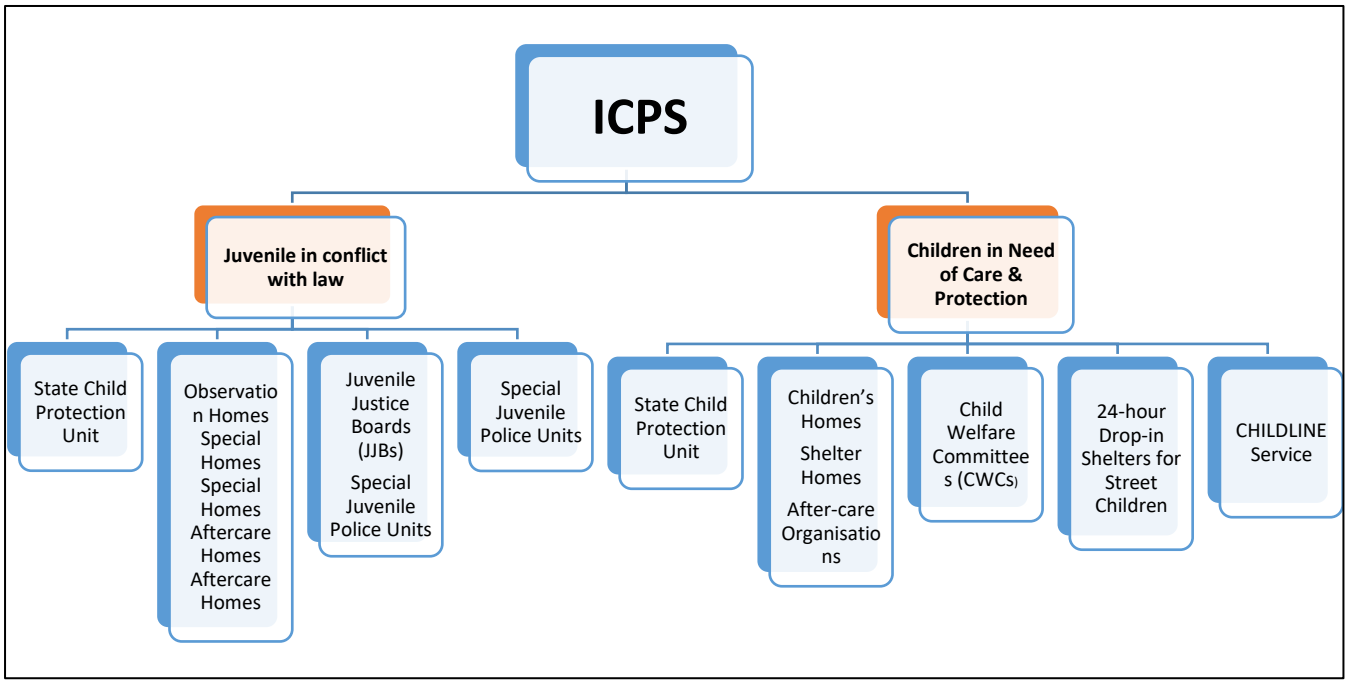

सेवा वितरण संरचनाओं में जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU), राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS), राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA) और राज्य परियोजना सहायता इकाई (SPSU) शामिल हैं।

लक्षित समूह

i) ICPS, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता पर और JJ अधिनियम के तहत परिभाषित संघर्ष में बच्चों पर अपनी गतिविधियों को केंद्रित करेगा। ICPS में कानून के संपर्क में आने वाले बच्चे, पीड़ित के रूप में या गवाह के रूप में या किसी अन्य परिस्थिति के कारण वाले बच्चों के साथ भी काम करेंगे।

ii) ICPS, निवारक, वैधानिक और देखभाल और पुनर्वास सेवाएं किसी अन्य कमजोर बच्चे (लेकिन यह उन पर सीमित नहीं है) को प्रदान करेगा: संभावित रूप से कमजोर परिवारों और जोखिम वाले परिवारों में बच्चों के साथ काम करेंगे - सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों जैसे प्रवासी परिवारों, परिवारों में रहने वाले बच्चे अत्यधिक गरीबी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, भेदभाव या अल्पसंख्यक, एचआईवी / एड्स से संक्रमित बच्चों और / या, अनाथ, बाल ड्रग एब्यूज़र, मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले, बच्चे भिखारियों, तस्करी से पीड़ित परिवार यौन शोषण करने वाले बच्चे, कैदियों के बच्चे और सड़क पर काम करने वाले बच्चे।

ICPS भी साथ काम करेंगे

सांविधिक सहायता सेवाएं

A. समाज कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी)

1. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति की स्थापना करना अनिवार्य बनाता है। सीडब्ल्यूसी देखभाल और संरक्षण के लिए बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए मामलों को निपटाने और उनकी बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतिम अधिकार होगा।

2. हर जिले में CWC की स्थापना और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को पर्याप्त आधारभूत संरचना और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

3. बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना के लिए दिशानिर्देश

i) सीडब्ल्यूसी का स्थान

जैसा कि जेजे एक्ट, 2000 के तहत प्रदान किया गया है, बाल कल्याण समिति को बाल गृह के परिसर में अपनी बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

ii) जगह और इन्फ्रास्ट्रक्चर

a. नवनिर्मित चिल्ड्रन होम में 300 वर्गमीटर के दो कमरे होंगे। सीडब्ल्यूसी के लिए प्रत्येक चिल्ड्रन होम में जहां एक मौजूदा चिल्ड्रन होम में परिसर के भीतर आवश्यक स्थान उपलब्ध है, वही समिति को प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, जिन जिलों में चिल्ड्रन होम नहीं है या मौजूदा चिल्ड्रन होम में सीडब्ल्यूसी के लिए कोई जगह नहीं है, आईसीपीएस सीडब्ल्यूसी के लिए उपयुक्त परिसर के निर्माण या किराए के लिए धन प्रदान करेगा।

ख) समिति एक कमरे में अपनी बैठकें आयोजित करेगी और दूसरे कमरे को बच्चों और परिवारों के लिए प्रतीक्षालय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जिस कमरे में सीडब्ल्यूसी की बैठकें होती हैं, वह आवश्यक फर्नीचर और उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रकाश आना चाहिए और एक बच्चे के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। प्रतीक्षालय में पीने के पानी और बच्चों के लिए कुछ इनडोर मनोरंजन की सुविधा के प्रावधान होने चाहिए।

B. किशोर न्याय बोर्ड (JJBS)

i) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 कानून के साथ संघर्ष में किशोरों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड (JJB) होना अनिवार्य बनाता है। प्रत्येक जिले में एक जेजेबी स्थापित करने की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, यह योजना राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त आधारभूत संरचना और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

a) JJB का स्थान

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त एक जेजेबी को एक ऑब्जर्वेशन होम के परिसर में अपनी बैठकें आयोजित करनी चाहिए।

b) स्पेस और इन्फ्रास्ट्रक्चर

नवनिर्मित ऑब्जर्वेशन होम में 300 वर्ग फुट के दो कमरे होंगे

JJB के लिए। जिन जिलों में पहले से ऑब्जर्वेशन होम मौजूद है, उन्हें परिसर के भीतर जेजेबी के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। जहां ऑब्जर्वेशन होम्स नहीं हैं, ऑब्जर्वेशन होम्स के कंस्ट्रक्शन बजट में जेजेबी के लिए कमरों की फंडिंग की गई है। बोर्ड एक कमरे में अपनी बैठकें आयोजित करेगा और दूसरे कमरे को बच्चों और परिवारों के लिए प्रतीक्षालय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

जिस कमरे में बोर्ड अपनी बैठकें करता है, उसे आवश्यक फर्नीचर से सुसज्जित किया जाना चाहिए और उपकरणों को अच्छी तरह से रखा जाना चाहिए और एक बच्चे के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। प्रतीक्षालय में पीने के पानी और बच्चों के लिए कुछ इनडोर मनोरंजन की सुविधा के प्रावधान होने चाहिए।

C. विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ (SJPUS)

i) किशोर न्याय अधिनियम 2000- बच्चों के साथ पुलिस इंटरफेस के समन्वय और उन्नयन के लिए हर जिले और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइयों की स्थापना का प्रावधान करता है। जिले या शहर में किशोर / बाल कल्याण अधिकारी के रूप में नामित सभी पुलिस अधिकारी एसजेपीयू के सदस्य हैं।
ii) वैधानिक आवश्यकता के रूप में, ICPS इकाई के मदद के लिए प्रत्येक SJPU में दो भुगतान किए गए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रदान करेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेगी और आवश्यकतानुसार एसजेपीयू में उनकी सेवाओं का चित्रण करेगी। दो सामाजिक कार्यकर्ताओं में से, कम से कम एक महिला होनी चाहिए और दूसरी बाल संरक्षण में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

बाल संरक्षण के लिए सरकार की योजनाएं

• **समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)** - एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के साथ-साथ अन्य कमजोर बच्चों के लिए सरकार-सिविल सोसाइटी भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षात्मक वातावरण का निर्माण करना है।

• **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) -** एक कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, पूर्वस्कूली शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।

• समग्र अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर आधारित है।

• किशोरियों के लिए योजना-योजना का उद्देश्य औपचारिक शिक्षा या गैर-औपचारिक शिक्षा में स्कूल की के बाहर लड़कियों को मुख्यधारा लाना । यह योजना एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के मंच का उपयोग करके कार्यान्वित की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs) सेवाओं के वितरण के लिए केंद्र बिंदु हैं।

• भारत सरकार के मिड-डे मील योजना-स्कूल भोजन कार्यक्रम को स्कूली बच्चों के पोषण संबंधी दृष्टिकोण को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है

किशोरी शक्ति योजना- इस योजना के व्यापक उद्देश्य किशोर लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और विकास की स्थिति में सुधार लाना, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और परिवार की देखभाल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उन्हें जीवन कौशल सीखने के अवसरों से जोड़ना, स्कूल जाना है। , उन्हें अपने सामाजिक परिवेश की बेहतर समझ हासिल करने में मदद करें और समाज के उत्पादक सदस्य बनने के लिए पहल करें।

• प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम-इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु, बाल और मातृ मृत्यु दर को कम करना है।

• राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

• बेटी बचाओ, बेटी पढाओ-भारत सरकार का एक अभियान है जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है।

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचक	सूचकों के माध्यम से स्वास्थ्य स्थिति के बारे में समझ विकसित करना प्रासंगिक/SDG सूचक	पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचको के बारे में चर्चा करना	15 मिनट्स

प्रासंगिक पंचायत स्तर के संकेतक

• लड़कों और लड़कियों की संख्या सहित बच्चों की कुल संख्या।
• उन बच्चों की संख्या, जिनके जन्म पंजीकृत हैं
• कुल बच्चों की संख्या में से पूर्वस्कूली बच्चों की संख्या ।
• 5-14 वर्ष की आयु समूह में बाल श्रमिकों की संख्या
• माता-पिता की देखभाल के बिना बच्चों की संख्या
• 18 वर्ष से पहले विवाहित बच्चों की संख्या
• गरीबी के कारण पलायन करने वाले बच्चों की संख्या
• तस्करी के शिकार बच्चों की संख्या
• घरेलू और यौन हिंसा का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या

बाल संरक्षण क्षेत्र में पंचायत भूमिका		बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार हेतु ग्राम पंचायत की भूमिका	पावर पॉइंट, व्याख्यान/फिल्म/केस स्टडी (समूह कार्य)	50 मिनट्स

बच्चे गाँव की आबादी के सबसे असुरक्षित और सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी ज़िम्मेदारी है। यद्यपि आज बच्चे मतदाता नहीं हैं, वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और वयस्क होने के नाते, हम उनकी परवरिश के लिए जवाबदेह हैं।

समूह के काम-
पंचायत की भूमिका

प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित करें

समूह 1
शांता किसी भी अन्य छह वर्षीय की तरह है, सिवाय उसके सिर पर एक खुला घाव है, उसके हाथ सूजे हुए, जकड़े हुए और भूरे रंग के हैं और वह मुश्किल से चल सकती है। वह छह से 13 साल की तीन छोटी लड़कियों में सबसे छोटी हैं, जिन्हें श्रीमोहन के घर में घरेलू सहायिका के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे बुरी तरह से पीट-पीट कर घायल हो जाती हैं और लंबे समय तक काम करती हैं।

समूह 2।
आपके गाँव के लोग आपको सूचित करते हैं कि आपके गाँव में एक शादी हो रही है जहाँ दुल्हन की उम्र केवल 13 वर्ष है। तुलसी नाम की बालिका बहुत गरीब परिवार से है । जब वह केवल 2 वर्ष की थी, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ परिवार की एकमात्र रोटी कमाने वाली है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि परिवार को मदद देने के बजाय, तुलसी के अपने चाचा ने उनकी शादी एक अज्ञात व्यक्ति के साथ कर दी, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके चाचा को इसके बदले में पैसे की पेशकश की गई थी, जिसमें उसने उक्त शादी की व्यवस्था की है।

समूह ३
सत्रह वर्षीय लड़की मंजू अपने बीमार मामा के साथ अपने मामा के घर पर रह रही थी । मंजू के अनुसार उसके चाचा द्वारा उसका यौन शोषण और अत्याचार किया गया । हालाँकि उसने अपनी माँ से बात साझा की थी लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह इस मामले का खुलासा किसी से करे। दुर्भाग्यवश उसने अपनी माँ को खो दिया और फिर एक वर्ष के भीतर उसके चाचा की भी मृत्यु हो गई और वह अपनी बड़ी बहन के पास रहने के लिए आ गई। वह कक्षा - सातवीं की छात्रा थी, लेकिन लगातार बीमार होने के कारण, उसने जनवरी 2018 से स्कूल बंद कर दिया। इस अवधि के दौरान जब वह डॉक्टर से मिली और उसे पता चला कि वह सात महीने की गर्भवती है तब बड़ी बहन ने पुलिस को सूचित किया गया और POCSO के तहत मामला दर्ज किया गया। दूसरी ओर, एक अविवाहित लड़की गर्भवती हो जाना एक बड़ा सामाजिक कलंक है और जब मामला सामने आया, तो उसकी बहन मंजू को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी।

प्रत्येक समूह चर्चा करेगा और प्रस्तुति करने के लिए एक समूह के नेता का चयन करेगा।

मुख बिंदु
आईसीपीएस के तहत निगरानी
ब्लॉक और ग्राम स्तर
ब्लॉक स्तर की बाल संरक्षण समिति: प्रत्येक ब्लॉक (एक शहर में वार्ड) के पास बाल विकास सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में ब्लॉक / वार्ड स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि (ब्लॉक समिति के प्रमुख) प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के साथ सदस्य सचिव के रूप में होंगे। ब्लॉक स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश और निगरानी करना। समिति में डीसीपीयू, एक आईसीडीएस अधिकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के प्रतिनिधियों, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों के अध्यक्षों के साथ-साथ सम्मानित समुदाय के सदस्य और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं।
राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर निगरानी समितियाँ, जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों में योजना के निम्नलिखित पहलुओं की निगरानी करेंगी:

i) सिस्टम सेट-अप और इन्फ्रास्ट्रक्चर:
उद्देश्य- बाल संरक्षण सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क, दोनों वैधानिक के साथ-साथ देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। किसी जिले में संस्थानों, JJB, CWCs, SJPU, सलाहकार बोर्डों, चयन समितियों, DCPC, आदि सहित बाल संरक्षण सेवा वितरण संरचनाओं से संबंधित सभी जानकारी DCPU डेटा बेस (DCPU स्वयं सहित) में दर्ज की जाएगी। जानकारी में संस्था का नाम और प्रकार, पता, कानूनी स्थिति, जिम्मेदार व्यक्ति, भौतिक स्थान (सुविधा) और उपकरण, लाइसेंस की स्थिति, कर्मचारियों

(संख्या और शिक्षा, योग्यता / नौकरी असाइनमेंट और लिंग), बजट () द्वारा विवरण शामिल होंगे वित्त पोषण और व्यय श्रेणियों के स्रोत), प्रदान की गई सेवाओं के प्रकार, लाभार्थी, आदि। यह संस्थानों, प्रदान की गई सेवाओं, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधनों और लाभार्थियों के नेटवर्क की सटीक जानकारी प्रदान करेगा।

i) सेवाओं (जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों) की मांग बच्चों की देखभाल में नियमित रूप से अपडेट किए गए डेटा पर और बच्चों और परिवारों को उन मुद्दों के लिए असुरक्षित माना जाता है जिनके लिए बाल सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता होगी।

iii) सेवा वितरण

उद्देश्य- लक्षित समूहों के साथ-साथ प्रदान की गई सेवाओं पर सटीक जानकारी प्रदान करना है। देखभाल में प्रत्येक बच्चे के लिए (या किसी भी प्रकार की सेवाएँ प्राप्त करने वाला बच्चा) विस्तृत जानकारी, जिसमें व्यक्तिगत देखभाल योजना (जब भी लागू हो) सेवा प्रदाता द्वारा रखी जाएगी; यह जानकारी डीसीपीयू के पास दर्ज की जाएगी और नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। बच्चे की फ़ाइल में उसकी / उसकी पहचान, जन्म, माता-पिता और करीबी रिश्तेदारों, पते, शिक्षा की स्थिति, मामले / स्थिति का विवरण, केस इतिहास, मूल्यांकन / मूल्यांकन, सीडब्ल्यूसी / जेजेबी द्वारा किए गए निर्णय और प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

iv) सिस्टम प्रदर्शन: परिणाम

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में मापने योग्य बाल संरक्षण संकेतकों का एक समूह विकसित होगा। उदाहरण के लिए, इन-कंट्री एडॉप्शन में 50% की वृद्धि एक ऐसा संकेतक है। सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित आगे के सिस्टम प्रदर्शन संकेतक विकसित किए जाएंगे, परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से, योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान उपरोक्त जानकारी, जिलों, राज्यों और केंद्र सरकार का उपयोग करके बच्चों की स्थिति के बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी होगी, बाल संरक्षण सेवाओं और बाल संरक्षण प्रणाली के प्रदर्शन की आपूर्ति और मांग।

उपविषय	उद्देश्य	प्रशिक्षण का तरीका	समयावधि
बाल संरक्षण के मुख्य बिंदु	मुख्य बिंदु याद रखें-	एक्शन points : ग्राम सभा व् ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों को जिवंत बनाना, नियमित रूप से स्वास्थय केंद्र एवं आंगनवाडी का निरिक्षण करना एवं रिकॉर्ड रख रखाव,	10 मिनट्स

- किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों पर समझ विकसित करना
- बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड (JJBs) के साथ संपर्क स्थापित करें
- मुखिया ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण सेवाओं के कार्यान्वयन की सिफारिश और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
- बाल संरक्षण मुद्दों की निगरानी के लिए प्रासंगिक पंचायत स्तर के संकेतकों पर एक डेटा बेस संकलित करें
- बाल संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए शुरू किए गए उपाय और सर्वोत्तम अभ्यास के दस्तावेज़ संकलित करें